

upload  
9/1/15

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक: एफ 13 ( )ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/ 1195-1230

जयपुर, दिनांक : 8/01/2015

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

.....

विषय : संशोधित अनुप्रति योजना नियम-2015 की प्रति भिजवाये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्र क्रमांक 13 ( )ब.घो. 12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/ 66614 दिनांक 24.12.14 के द्वारा संशोधित अनुप्रति योजना नियम-2015 जारी किये गये है। उक्त नियमों की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नियम जनवरी 2015 से प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा पूर्व में जारी अनुप्रति योजना नियम 2012 में संशोधन करते हुए उक्त नियम जारी किये गये है एवं 24 दिसम्बर 2014 से अनुप्रति योजनान्तर्गत सभी आवेदन पत्र ऑन लाईन ही आवेदन प्राप्त किये जावेगें एवं ऑन लाईन ही स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा। अभ्यर्थी से हार्डकापी के रूप में कोई दस्तावेज किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करवाये जायेंगे। अनुप्रति योजना नियम 2012 के परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पूर्व की भाँति ही रहेंगे। उक्त परिशिष्टों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अतः संशोधित अनुप्रति योजना नियम- 2015 के अनुसार ही ऑन लाईन आवेदन पत्रों की ऑन लाईन स्वीकृति जारी ऑन लाईन भुगतान करने की कार्यवाही करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

hcm  
5.1.2015  
(डॉ. हरसहाय मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक  
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

क्रमांक: एफ 13 ( )ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/1231-1480 जयपुर, दिनांक : 8/01/2015  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलक्टर .....
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .....
12. निदेशक/प्राचार्य .....
13. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. सयुक्त निदेशक (योजना)/मुख्य लेखाधिकारी/ उपनिदेशक (दिवनारायण) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।

*NSM*  
*5.1.2015*  
(डॉ. हरसहाय मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक  
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक: एफ 13 ( )ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/66614 जयपुर, दिनांक 24/12/2014

संशोधित अनुप्रति योजना नियम-2015

राजस्थान मूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल श्रेणी के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा' (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई आई टी, आई आई एम, राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज/राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/नियमों को अतिक्रमित करते हुए राज्य सरकार निम्न नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-

- i. ये नियम अनुप्रति योजना (संशोधित) नियम-2015 कहलायेंगे।
- ii. ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।
- iii. ये नियम जनवरी 2015 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ :

- i. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- ii. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।
- iii. प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
- iv. आयुक्त/निदेशक, से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

- v. अभ्यर्थी से तात्पर्य, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में, राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थान की प्रवेश परीक्षा में, राजस्थान राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग/राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, से है।
- vi. मूल निवासी से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी से है।
- vii. राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज/मेडिकल कॉलेज से तात्पर्य उन उच्च शिक्षण संस्थानों से है जो राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित है या राजस्थान सरकार के हैं तथा सरकारी क्षेत्र में इंजिनियरिंग एवं मेडीकल की शिक्षा प्रदान करते हैं अर्थात् पूर्णतः राजस्थान सरकार के कॉलेज इस श्रेणी में आयेंगे।
- viii. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।
- ix. आई आई टी, आई आई एम, एन,आई.टी से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा स्थापित आई आई टी, आई आई एम, एन.आई.टी से है तथा राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों से आशय उन मेडिकल कॉलेजों से है जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज हैं, जो योजनान्तर्गत सूचीबद्ध है।
- x. पाठ्यक्रम से तात्पर्य अनुप्रति योजनान्तर्गत जिन पाठ्यक्रमों हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, उन पाठ्यक्रमों से है।
- xi. विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से तात्पर्य योजनान्तर्गत सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं से है।
- xii. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निदेशालय/आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

### 3. अनुदान सहायता :-

#### (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु:-

संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 65,000
- (2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000
- (3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रूपये 5,000

#### (ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- रूपये 25,000
- (2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- रूपये 20,000
- (3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रूपये 5,000

#### (स) प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु:-

संस्थान का नाम	प्रवेश परीक्षा का विवरण	पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी	देय अनुदान की राशि
आई आई टी, आई.टी. बी.एच.यू., आई.एस.एम,	आई.आई.टी., जे.ई.ई.	बी.टेक. इंजिनियरिंग स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम/ अन्य पाठ्यक्रम जिनमें इस प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हुआ है	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/-रूपये
आई आई एम	कैट	एम.बी.ए. (बिजनेस एडमिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)/ अन्य स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम जिनमें इस प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हुआ है	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/-रूपये
ए आई आई एम एस (एम्स)	एम्स में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	एम.बी.बी.एस	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की

इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स बेंगलोर	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	बी.एस.	राशि 50,000/-रूपये
इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एज्युकेशन रिसर्च, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	बी.एस-एम.एस बी.टेक	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/- रूपये
राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज	शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	एम.बी.बी.एस	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/-रूपये
राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई टी)	ए.आई.ई.ई.ई	बी.टेक (स्नातक डिग्री)	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/- रूपये
योजनान्तर्गत सूचीबद्ध नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	क्लैट (CLAT)	विधि स्नातक	विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/- रूपये

उक्त वर्णित शिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

द. राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु:-

शिक्षण संस्थान	प्रवेश परीक्षा का नाम	पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय होगा	देय प्रोत्साहन राशि
राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज	आर.पी.ई.टी. या अन्य प्रवेश परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है।	बी.टेक/बी.ई	10,000/- रूपये
राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय मेडिकल कॉलेज	आर.पी.एम.टी या अन्य प्रवेश परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है।	एम.बी.बी.एस	10,000/- रूपये

उक्त वर्णित शिक्षण संस्थाओं की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

#### 4. अनुदान की पात्रता :-

- i. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- ii. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) एवं सामान्य वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) का सदस्य हो।
- iii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- iv. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।
- v. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
- vi. अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल (राज्य बीपीएल सहित)/सामान्य वर्ग बीपीएल (राज्य बीपीएल सहित) परिवार का सदस्य हो।

5. अनुदान स्वीकृति की शर्तें : अनुदान स्वीकृति पात्रता के मापदण्डों (नियम 4) एवं निर्धारित देय प्रोत्साहन राशि (नियम 3) के आधार पर निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जावेगी :-

- i. सिविल सेवा परीक्षा तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी।
- ii. यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेता है एवं उसके उपरान्त भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होता है तो अभ्यर्थी को पहले दी गई राशि में से अंतर राशि दी जावेगी।

- iii. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु लाभ नहीं दिया जायेगा।
- iv. विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पश्चात ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- v. यदि आई.आई.टी. में किसी छात्र का प्रिपेटरी कोर्स में प्रवेश होता है तो उसे प्रिपेटरी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हाने पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- vi. विभाग की अन्य कोचिंग योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थी को अनुप्रति योजनान्तर्गत मुख्य परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी।
- vii. अभ्यर्थी को स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा जिसमें निम्नांकित विवरण अंकित हो-
  - (अ) उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है
  - (ब) अभ्यर्थी का उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रयास है।
  - (स) अभ्यर्थी राजकीय सेवा में है अथवा नहीं हैं।
- viii. यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

6. आवेदन की प्रक्रिया एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :- उपरोक्त राशि के लिये निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित जिले, जहाँ का अभ्यर्थी रहने वाला है, के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही आवेदन किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की हार्ड कॉपी/दस्तावेज जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं करवाये जायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑन लाईन जाँच कर ऑन लाईन ही स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ-साथ निम्नांकित स्वप्रमाणित दस्तावेज संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने होंगे :-

- i. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- ii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।



- iii. आय प्रमाण पत्र की प्रति। (आय प्रमाण-पत्र अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो)। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- iv. सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल प्रमाणित करने के लिए निम्नांकित में से कोई एक (अ) बीपीएल राशन कार्ड (ब) बीपीएल मेडिकल डायरी (स) ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
- v. प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में प्रवेश लेने का अनुमति पत्र (Permission Letter) व परिणाम की प्रति।
- vi. अभ्यर्थी को भामाशाह कार्ड, आधार, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट में से किसी एक दस्तावेज की प्रति।
- vii. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने पर शिक्षण संस्था का आई.डी. कार्ड एवं प्रथम सेमेस्टर की फीस की प्रति।
- viii. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैंक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन में करना होगा।

**7. आवेदन प्राप्त एवं निस्तारण की समय सीमा :** अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही किया जावेगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र ऑन लाईन परीक्षणोपरांत पूर्ण पाये जाने पर आवेदन पत्र ऑन लाईन किये जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में ऑन लाईन स्वीकृति जारी कर ऑन लाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

आवेदन पत्र छः माह की अवधि के पश्चात् 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा। आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जावेगी।

उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

8. योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन : अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में इस कार्य हेतु नामित अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) द्वारा की जायेगी। उक्त योजना की प्रभावी मोनिटरिंग हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार समितियाँ गठित की जाती हैं :-

(अ) राज्य स्तर पर

1	निदेशक/आयुक्त	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)	सदस्य
3	उपनिदेशक (दिवनारायण योजना)	सदस्य
4	लेखाधिकारी, मुख्यावास	सदस्य
5	सहायक निदेशक (शिक्षा)	सदस्य सचिव

(ब) जिला स्तर पर

1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	अध्यक्ष
2	जिला परिषद का लेखाधिकारी	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	जिलाधिकारी, सान्याअवि	सदस्य सचिव

उक्त समितियाँ वर्ष में दो बार लिखित आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी तथा समस्याओं का निराकरण प्रस्तावित करेगी।

9. नियमों का विनिर्णय : इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

M 23-12-14  
(अम्बरीष कुमार)  
निदेशक

## LIST OF INSTITUTIONS UNDER ANUPRATI SCHEME

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थान			
Sl. No	Name of the Institute	Location	State
1	Indian Institute of Technology Delhi	Hauz Khas, New Delhi-110016	Delhi
2	Indian Institute of Technology Kharagpur	Kharagpur-721302	West Bengal
3	Indian Institute of Technology Kanpur	PO IIT, Kanpur-208076	Uttar Pradesh
4	Indian Institute of Technology Bombay	Powai, Mumbai-400076	Maharashtra
5	Indian Institute of Technology Guwahati	Institute of Engineers Building, Pan Bazar, Guwahati-781001	Assam
6	Indian Institute of Technology Roorkee	Roorkee-247667	Uttarakhand
7	Indian Institute of Technology Chennai	PO IIT, Chennai-600036.	Tamil Nadu
8	Indian Institute of Technology Ropar	Nangal Road, Rupnagar, Punjab	Punjab
9	Indian Institute of Technology Bhubaneswar	Samantapuri (Rearside of Hotel Swosti Plaza), Bhubaneswar	Orissa
10	Indian Institute of Technology Rajasthan	IIT Rajasthan Camp Office, MBM Engineering College, Jodhpur.	Rajasthan
11	Indian Institute of Technology Gandhinagar	Vishwakarma Govt. Engineering College at Chandkheda, Gandhinagar-382424	Gujarat
12	Indian Institute of Technology Patna	I.I.T. Patna, Navin Govt. Polytechnic Campus, Patliputra Colony, Patna-800013	Bihar
13	Indian Institute of Technology Hyderabad	I.I.T. Hyderabad Ordnance Factory Estate, Yeddumailaram-502205	Andhra Pradesh
14	Indian Institute of Technology Mandi	PWD Rest House 2nd floor, Near Bus Stand Mandi- 175001	Himachal Pradesh
15	Indian Institute of Technology, Indore	Devi Ahilya Vishwavidyala Campus, Khandwa Road, Indore	Madhya Pradesh
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समकक्ष संस्थान			
1	Indian School of Mines Dhanbad	Dhanbad - 826004	Bihar
2	Institute of Technology, Banaras Hindu University Varanasi	Varanasi - 221005	Uttar Pradesh
भारतीय प्रबंधन संस्थान			
1	Indian Institute of Management Ahmedabad	Vastapur, Ahmedabad-380015	Gujarat
2	Indian Institute of Management Bangalore	Bannerghat Road, Bangalore-560076	Karnataka
3	Indian Institute of Management Kolkata	Joka, Post Box No.16757, Alipara PO, Kolkata-700027	West Bengal
4	Indian Institute of Management Lucknow	Post Box No.2, Aliganj Extension, Part II, Lucknow-226020	Uttar Pradesh

5	Indian Institute of Management Kozhikode	Kozhikode, Calicut-673601	Kerala
6	Indian Institute of Management Indore	Indore	Madhya Pradesh
7	Rajiv Gandhi Indian Institute of Management Shillong	Mayurbhanj Complex, Nongthymai, Shillong - 793 014	Meghalaya
8	Indian Institute of Management Raipur	Government Engineering College Campus, Old Dhamtari Road, Sejbahar, Raipur -492015	Chhattisgarh
9	Indian Institute of Management Rohtak	Humanities Block, MDU Rohtak, Rohtak - 124001	Haryana
10	Indian Institute of Management Ranchi	Suchna Bhawan, Audrey House Campus, Meur's Road, Ranchi - 834008	Jharkhand
11	Indian Institute of Management Udaipur	Polymer Science Building, Udaipur, Rajasthan	Rajasthan
12	Indian Institute of Management Tiruchirappalli	Located at NIT Trichy	Tamil Nadu
13	Indian Institute of Management Kashipur	Escort Farm, Kashipur, Uttarakhand	Uttarakhand
<b>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमएस)</b>			
1	All India Institute of Medical Sciences Delhi	Ansari Nagar, New Delhi	Delhi
<b>भारतीय विज्ञान संस्थान</b>			
-1	Indian Institute of Science	Banglore	Karnataka
<b>भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान</b>			
1	Indian Institute of Science Education and Research	Kolkata	West Bengal
2	Indian Institute of Science Education and Research	Bhopal	M.P.
3	Indian Institute of Science Education and Research	Thiruvananthapuram,	Kerala
4	Indian Institute of Science Education and Research	Mohali	Punjab
5	Indian Institute of Science Education and Research	Puna	Maharashtra
<b>भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान</b>			
1	Indian Institute of Space Science and Technology	Thiruvananthapuram,	Kerala
<b>राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज</b>			
1	Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research Pondicherry	Dhanvantri Nagar, Gorimedu, Pondicherry - 605 006	Puducherry
2	Vardhaman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital Delhi	New Delhi	Delhi
3	B J Medical College Ahmedabad	Ahmedabad - 380016	Gujarat
4	Govt. Medical College Calicut	Kozhikode, Calicut - 673008	Kerala

5	Medical College Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala - 695011	Kerala
6	Government Medical College Vellore	Vellore	Tamil Nadu
7	Maulana Azad Medical College New Delhi	Bahadur Shah Zafar Rd, New Delhi- 110002	Delhi
8	Lady Hardinge Medical College New Delhi	Bhagat Singh Road, New Delhi - 110001	Delhi
9	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University Varanasi	Banaras Hindu University Varanasi - 221005	Uttar Pradesh
10	Madras Medical College Chennai	Dr. EVR Salai, Chennai- 600003	Tamil Nadu
11	Grant Medical College Mumbai	Sir J J Hospital, Byculla, Mumbai - 400008	Maharashtra
12	King Edward Memorial Hospital and SGS Medical College, Mumbai	Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai 400 012	Maharashtra

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)**

1	National Institute of Technology Warangal	Warangal – 506004	Andhra Pradesh
2	National Institute of Technology Silchar	Silchar – 788010	Assam
3	National Institute of Technology Patna	Patna – 800005	Bihar
4	Sardar Vallabhbhai National Inst.of Technology Surat	Surat – 395607	Gujarat
5	National Institute of Technology Jamshedpur	Jamshedpur – 831014	Jharkhand
6	National Institute of Technology Surathkal	Surathkal – 574157	Karnataka
7	National Institute of Technology Calicut	NIT Campus P.O., Calicut - 673 601	Kerala
8	Visvesvaraya National Institute of Technology Nagpur	South Ambazari Road, Nagpur, Pin 440010	Maharashtra
9	National Institute of Technology Rourkela	Rourkela 769008	Orissa
10	Dr B R Ambedkar National Inst.of Technology Jalandhar	Jalandhar - 144004	Punjab
11	National Institute of Technology Kurukshetra	Kurukshetra-132119	Haryana
12	National Institute of Technology Hamirpur	Hamirpur-177001	Himachal Pradesh
13	National Institute of Technology Hazratbal	Hazratbal, Srinagar-190006	J & K
14	Maulana Azad National Inst.of Technology	Bhopal-462007	MP
15	Malaviya National Inst.of Technology Jaipur	Jaipur - 302017	Rajasthan
16	National Institute of Technology Durgapur	Durgapur - 713209	West Bengal
17	National Institute of Technology Trichy	Tiruchirappalli - 620015	Tamil Nadu
18	Motilal Nehru National Inst.of Technology Allahabad	Allahabad-211004	Uttar Pradesh
19	National Institute of Technology Agartala	Agartala	Tripura

20	National Institute of Technology Raipur	Raipur	Chhattisgarh
21	National Institute of Technology Manipur	Manipur (NIT Agartala – 799055)	Manipur
22	National Institute of Technology Sikkim	Sikkim (NIT Calicut – 673601, Kerala)	Sikkim
23	National Institute of Technology Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh (NIT Durgarpur – 713209)	Arunachal Pradesh
24	National Institute of Technology Uttarakhand	Uttarakhand (NIT Kurukshetra – 136119, Haryana)	Uttarakhand
25	National Institute of Technology Mizoram	Mizoram (Visvesvaraya NIT, Nagpur – 440011)	Mizoram
26	National Institute of Technology Nagaland	Nagaland (NIT Silchar – 788010, Assam)	Nagaland
27	National Institute of Technology Meghalaya	Meghalaya (Sardar Vallabhbhai NIT, Surat – 395007, Gujarat)	Meghalaya
28	National Institute of Technology Goa	Goa (NIT Surathkal – 575025, Karnataka)	Goa
29	National Institute of Technology Puducherry	Puducherry (NIT Tiruchirappalli – 620015, Tamil Nadu)	Puducherry
30	National Institute of Technology Delhi	Delhi (NIT Warangal – 506004, A.P.)	Delhi
<b>राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय</b>			
1	National Law School of India University	PO Bag-7201, Nagarbhavi, Bangalore - 560072	Karnataka
2	National Law Institute University Bhopal	Bhopal	Madhya Pradesh
3	NALSAR University of Law Hyderabad	Barkatpura, Hyderabad	Andhra Pradesh
4	National Law University Jodhpur	NH-65, Nagour Road, Mandore, Jodhpur - 342304	Rajasthan
5	The WB National University of Juridical Sciences Kolkata	Dr. Ambedkar Bhavan 12, LB Block, Sector III, Salt Lake City, Kolkata - 700098	West Bengal
6	Hidayatullah National Law University Raipur	HNLU Bhawan, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh-492001	Chhattisgarh
7	Gujarat National Law University Gandhinagar	E-4, GIDC Electronics Estate, Sector 26, Gandhinagar - 382028	Gujarat
8	Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow	Sector-D1, LDA Colony, Kanpur Road Scheme, Lucknow - 226012	Uttar Pradesh
9	Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala	Mohindra Kothi, Mall Road, Patiala - 147001	Punjab
10	Chanakya National Law University, Patna	Nyaya Nagar, Mithapur, Patna - 800001	Bihar
11	National University of Advanced Legal Studies, Kochi	Kaloor, Kochi - 682 017	Kerala
12	National Law University, Delhi	Sector 14, Dwarka, New Delhi - 110078	Delhi

राजस्थान राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों की सूची

**GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES**

	Name of Collage	
1	Collage of Technology & Engineering , UDAIPUR	UDAIPUR
2	Collage of Dairy & Food Technology, UDAIPUR	UDAIPUR
3	Collage of Engineering & Technology , BIKANER	BIKANER
4	Engineering Collage, Bariya Choraha, National Highway No. 8 AJMER	AJMER
5	Engineering Collage, BIKANER	BIKANER
6	Engineering Collage, BHARATPUR	BHARATPUR
7	Government Engineering Collage, Near ITI Campus, Industrial Area, III ALWAR	ALWAR
8	Government Mahila Engineering Collage, Nasirabad Road, Makhurura, AJMER	AJMER
9	MLV Textile & Engineering Collage, BHILWARA	BHILWARA
10	MBM Engineering Collage, JODHPUR	JODHPUR
11	University Collage of Engineering, Rawatbhata Road, Akelgarh. KOTA	KOTA

**Govt. Medical Colleges**

1	S.M.S. Medical College & Hospital, JLN Marg, Jaipur	Jaipur
2	J.L.N. Medical College & Hospital, Ajmer	Ajmer
3	Dr. S.N. Medical College & Hospital, Jodhpur	Jodhpur
4	RNT Medical College & Hospital, Udaipur	Udaipur
5	Govt. Medical College & Hospital, Kota	Kota
6	S.P. Medical College & Hospital, Bikaner	Bikaner
7	Jhalawar Medical College & Hospital, Jhalawar	Jhalawar